न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 44/11

सत्यनारायण आत्मज औंकार जाति कंडारा निवासी बथवाडा तहसील उप तहसील तालेडा हाल निवासी एमबीएस के सामने बृजराज कॉलोनी कोटा (मृतक) जरिये कायममुकामान :–

1. राजेन्द्र कुमार
2. श्यामबिहारी
3. दिलीप पिसरान सत्यनारायण
4. रामकन्या देवी बेवा सत्यनारायण
5. ललता बाई
6. कृष्णा बाई पुत्रियॉ स्व0 सत्यनारायण निवासी बथवाडा तहसील तालेडा हाल बृजराज कॉलोनी कोटा ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. रामनारायण आत्मज गोदपुत्र कजोड जाति कंडारा ।
2. रामकंवरी पत्नी रामनारायण जाति कंडारा (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   2/1. नाथूलाल आत्मज रामनारायण पुत्र
   2/2. महावीर आत्मज रामनारायण पुत्र
   2/3. राजू पुत्र रामनारायण पुत्र
   2/4. उर्मिला पुत्री रामनारायण पुत्री निवासीगण बथवाडा हाल खेरूला तहसील तालेडा बून्दी ।
3. गोविन्द सिंह आत्मज श्रवण सिंह राजपूत ।
4. श्रीमती कजोड कंवर बेवा तेजसिंह निवासीगण बथवाडा तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
5. कैलाश पत्नी बाबूलाल कंडारा निवासी घाट का बराना तहसील के0 पाटन बून्दी ।
6. रामप्यारी पत्नी हरिचन्दा कंडारा निवासी झाली का बाराना तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री घनश्याम नागर अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 08.11.2017

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बून्दी जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.06.2001 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 89, 43 एवं 183 के अन्तर्गत ग्राम बथवाडा तहसील तालेडा जिला बून्दी की आराजी कुल किता 08 रकबा 32 बीघा 06 बिस्वा भूमि के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत कर वादीगण का वाद स्वीकार करने का निवेदन किया ।

3. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.06.2001 के द्वारा वादीगण का वाद स्वीकार करने का निर्णय एंव डिक्री पारित की ।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.06.2001 से व्यथित होकर प्रतिवादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त करने का निवेदन किया ।

5. अपीलान्ट ने अपील मीमो के साथ भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 05 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित एकपक्षीय निर्णय की अपीलान्ट को कोई जानकारी प्राप्त नहीं थी । उक्त निर्णय एवं डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 05.08.2011 को पटवारी हल्का द्वारा बताने पर हुई जिस पर उक्त निर्णय की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना के उपस्थिति नहीं आने से अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने एकपक्षीय रूप से निर्णय एवं डिक्री पारित की है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही उक्त निर्णय एंव डिक्री पारित कर दी जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

8. अपीलान्ट ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का प्रस्तुत कर उक्त प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिये जाने का निवेदन किया ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण दर्शित किये हैं वह उचित प्रतीत होते हैं । अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 05 का स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

10. अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का पेश किया । उक्त प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न कर उक्त दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिये जाने का निवेदन किया है उन्हें हम न्यायहित में रिकॉर्ड पर लिया जाना उचित समझते हैं । अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी स्वीकार किया जाता है उक्त प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

11. प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से निवेदन किया है कि उसे अधीनस्थ न्यायालय ने सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के साथ जो दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं उन्हें न्यायालय हाजा द्वारा रिकॉर्ड पर लिये जाने का आदेश पारित किया है । उक्त दस्तावेजात का परीक्षण विचारण न्यायालय में होगा ऐसी स्थिति में हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं ।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.06.2001 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह पक्षकारान को सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान दिनांक 27.12.2017 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

13. निर्णय आज दिनांक 08.11.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा